भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2647

उत्तर देने की तारीख: 04.08.2026

लक्षित क्षेत्रों के उच्च विद्यालय में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना

2647. श्रीमती डी. के. अरुणा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) लक्षित क्षेत्रों के उच्च विद्यालय में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ) के अंतर्गत निजी आवासीय विद्यालयों में स्वीकृत की गई वार्षिक सीटों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) श्रेष्ठ के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा (एनईटीएस) के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार की ओर से प्रति छात्र संवितरित की जाने वाली आर्थिक सहायता में पूरा आवासीय शुल्क भी शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले छह वर्ष में इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य बनाम उपलब्धियों संबंधी व्यय का डेटा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ) के अंतर्गत निजी आवासीय स्कूलों में प्रति वर्ष 8425 सीटें (मोड-I के अंतर्गत 3000 और मोड-II के अंतर्गत 5425) निर्धारित की गई हैं।

पिछले पांच वर्षों में श्रेष्ठ (एनईटीएस) के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नामांकित छात्रों की संख्या निम्नानुसार है: -

वर्ष	नामांकित छात्रों की संख्या
2022-23	4752
2023-24	7348
2024-25	11127
2025-26	20011
2026-27	21745
कुल	**64983**

(ग) और (घ): इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाए गए वित्तीय अनुदान में संपूर्ण आवासीय शुल्क संरचना शामिल है। इस योजना के तहत पिछले छह वर्षों के दौरान आवंटित निधियों और किए गए व्यय का विवरण इस प्रकार है: -

(रुपये करोड़ में)

क.सं.	वित्त वर्ष	आवंटित निधियां	व्यय
1	2020-21	125.00	56.05
2	2021-22	63.21	38.04
3	2022-23	89.00	51.12
4	2023-24	90.65	81.57
5	2024-25	110.00	109.98
6	2025-26	140.00	127.93
	कुल	**617.86**	**464.69**
